R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड X ◆ अंक 2
सितम्बर 2013

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

शाखा प्राधिकरण नीति

शाखा प्राधिकरण नीति के और उदारीकरण तथा उसे तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में टीयर 2 से टीयर 6 तथा पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के ग्रामीण और अर्धशहरी तथा शहरी केन्द्रों में रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना शाखा खोलने के लिए दी गई सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन टीयर 1 में भी प्रदान की गई है:

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई कुल शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत (प्रोत्साहन के माध्यम से टीयर 1 केन्द्रों में शाखाओं की पात्रता को छोड़कर) शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण (टीयर 5 और 6) केन्द्रों अर्थात् उन केन्द्रों में खोली जाएं जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की पारंपरिक शाखा नहीं है।

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान टीयर 1 केन्द्रों में खोली गई कुल शाखाएं (प्रोत्साहन के माध्यम से टीयर 1 केन्द्रों में शाखाओं की पात्रता को छोड़कर) टीयर 2 और 6 केन्द्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में सभी केन्द्रों में खोली गई कुल शाखाओं से अधिक नहीं हो सकती हैं।

चूंकि अधिक एकरूप स्थानिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक सुविधा रहित राज्यों के बैंक सुविधा रहित जिलों में अधिक शाखाएं खोलने की सतत आवश्यकता है, बैंकों को ऐसी शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तदनुसार, बैंक टीयर 1 में ऊपर निर्धारित पात्रता से अधिक शाखाएं खोल सकती हैं, यह बैंक सुविधा रहित राज्यों के बैंक सुविधा रहित जिलों के टीयर 2 और टीयर 6 केन्द्रों में खोली गई शाखाओं के बराबर है जिसमें बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोली गई उन शाखाओं को छोड़ दिया गया है जिन्हें बैंक सुविधा रहित राज्यों के बैंक सुविधा रहित जिलों में अवस्थित किया जा सकता है।

बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गई सभी शाखाएं उपर्युक्त निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में हैं। यदि कोई बैंक सभी शाखाएं खोलने में असमर्थ है जिसके लिए यह टीयर 1 केन्द्रों में शाखा खोलने के लिए पात्र है, तो यह अगले दो वर्षों में ये शाखाएं खोल सकता है।

बैंक जो कुछ कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान टीयर 2 और टीयर 6 दोनों में या बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों (टीयर 5 और 6 केन्द्रों) में शाखाएं खोलने के अपने उतरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यक रूप से इस कमी को दुरुस्त करें।

यह सामान्य अनुमति उपर्युक्त मापदंडों और अलग-अलग बैंकों के संबंध में विनियामक/पर्यवेक्षी सुविधा के अनुपालन के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक के पास यह विकल्प होगा कि वह उन बैंकों को प्रदान की गई सामान्य अनुमति वापस ले सके जो उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, साथ ही यह उन बैंकों पर दंडात्मक उपाय लागू कर सकता है जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो/सीमांत स्थायी सुविधा दरें

निम्नलिखित दरों में 20 सितंबर 2013 से परिवर्तन किया गया है:

रिपो

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाते हुए 7.25 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत किया गया है।

प्रत्यावर्तनीय रिपो

रिपो दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर स्वतः 6.50 प्रतिशत पर समायोजित हो गई है।

विषय सूची

नीति	
शाखा प्राधिकरण नीति	1
रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो/सीमांत स्थायी सुविधा दरें	1
बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं	2
बैंक दर	2
दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव में परिवर्तन	2
आधार दर-संशोधित दिशानिर्देश	2
मुद्रा का निर्यात और आयात	2
बैंकनोटों और सिक्कों का वितरण	2
शाखा बैंकिंग	
आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण	2
भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के बैंक खाते खोलना	2
फेमा	
समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	3
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) डॉलर निधियां प्राप्त करने के लिए स्वैप सुविधा	3
वायदा संविदाओं को रद्द करना/पुनःबुकिंग करना	4
भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर विदेशी मुद्रा काउंटर	4
शहरी सहकारी बैंक	
कोर बैंकिंग समाधान का कार्यान्वयन	4
मरम्मत/परिवर्धन/फेरबदल के लिए ऋण	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
ग्राहकों की शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटीकरण	4

सीमांत स्थायी सुविधा

सीमांत सथायी सुविधा (एमएसएफ) दर 75 आधार अंक कम होकर 10.25 प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत हो गई है।

बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडीज़) (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 20 सितंबर 2013 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 7.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

बैंक दर

बैंक दर 20 सितंबर 2013 से 75 आधार अंकों द्वारा समायोजित होकर 10.25 प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत हो गई है। विशिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाओं में कमी पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें भी नीचे उल्लिखित रूप में संशोधित की गई हैं:

मद	विद्यमान दर	संशोधित दर (20 सितंबर 2013 से लागू)
आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाओं में कमी पर दंडात्मक ब्याज दरें	बैंक दर के साथ 3.0 प्रतिशत अंक (13.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर के साथ 5.0 प्रतिशत अंक (15.25 प्रतिशत)	बैंक दर के साथ 3.0 प्रतिशत अंक (12.50 प्रतिशत) अथवा बैंक दर के साथ 5.0 प्रतिशत अंक (14.50 प्रतिशत)

दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव में परिवर्तन

दैनिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव में 21 सितंबर 2013 को शुरु होने वाले पखवाड़े से 99 प्रतिशत की अपेक्षा को कम करते हुए 95 प्रतिशत किया गया है।

आधार दर-संशोधित दिशानिर्देश

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को आधार दर पद्धति की गणना/संशोधन की अनुमति दी जाए ताकि वे इस संबंध में सामना की जा रही कठिनाईयों को दूर कर सकें। तदनुसार यह सूचित किया गया है कि -

(i) वे बैंक जिन्होंने जुलाई 2010 में आधार दर लागू होने के बाद भारत में अपना बैंकिंग परिचालन शुरु किया है लेकिन 2 सितंबर 2013 तक अपने बैंकिंग परिचालन का एक वर्ष पूरा नहीं किया है, उन्हें भारत में अपना कारोबारी परिचालन शुरु करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी आधार दर पद्धति में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) भारत में 2 सितंबर 2013 के बाद अपना बैंकिंग कारोबार शुरु करने वाले बैंकों को अनुमति होगी कि वे भारत में अपना बैंकिंग कारोबार शुरु करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी आधार दर पद्धति में संशोधन करें।

(iii) उपर्युक्त में सूचीबद्ध बैंकों सहित यदि कोई बैंक इसके अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से पांच वर्षों के बाद अपनी आधार दर पद्धति की समीक्षा करना चाहता है तो वह बैंक रिज़र्व बैंक से इस संबंध में अनुमति के लिए संपर्क कर सकता है।

मुद्रा का निर्यात और आयात

विदेशों में यात्रा करने वाले निवासी भारतीयों को और अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि भारत में निवासी कोई व्यक्ति:

(i) भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) अपने साथ प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹10,000/- तक की राशि के भारत सरकार के करेंसी नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट ले जा सकता है।

(ii) जो अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया हो, वह भारत के बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) किसी भी स्थान से प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹ 10,000/- तक की राशि के भारत सरकार के करेंसी नोट तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

पूर्व में यह सीमा प्रति व्यक्ति ₹ 7500/-थी।

बैंकनोटों और सिक्कों का वितरण

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंकनोटों और सिक्कों के वितरण के लिए वैकल्पिक उपायों जैसेकि कारोबारी संवाददाताओं (बीसी) की सेवाओं का उपयोग करने तथा नकदी अंतरण (सीआईटी) संस्थाओं की सेवाएं लेने के वैकल्पिक उपायों की संभावना का पता लगाएं।

यह स्मरण होगा कि 2 सितंबर 2013 को बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे उन गतिविधियों के रूप में भी बैंकनोटों और सिक्कों के वितरण को शामिल करें जो कारोबारी संवाददाताओं द्वारा की जा सके।

शाखा बैंकिंग

आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण

यह देखा गया है कि कुछ बैंकों ने डेवेलपर्स/भवन निर्माताओं के साथ मिलकर कतिपय नवोन्मेषी आवास ऋण योजनाएं शुरूकी हैं जैसेकि मंजूर किए गए वैयक्तिक आवासीय ऋणों के संवितरण को आवासीय परियोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों से जोड़े बिना पहले से ही भवन निर्माताओं को संवितरित कर देना, निर्माण काल/विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान वैयक्तिक उधारकर्ता द्वारा लिए गए आवास ऋण पर भवन निर्माताओं द्वारा ब्याज/ईएमआई की सर्विस देना आदि। इसके अंतर्गत बैंक, भवन निर्माता और आवासीय इकाई के क्रेता के मध्य त्रिपक्षी करारों पर हस्ताक्षर करना भी शामिल हो सकता है। ये ऋण उत्पाद 80:20, 75:25 योजना जैसे विविधि नामों से लोकप्रिय हैं।

इन ऋण उत्पादों से बैंक और उनके आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त जोखिम होने की संभावना है, उदाहरण के लिए वैयक्तिक उधारकर्ताओं/भवन निर्माताओं के बीच विवाद की स्थिति में, सहमत अवधि के दौरान उधारकर्ता की ओर से भवन निर्माता/डेवलपर द्वारा ब्याज/मासिक किस्त की चुकौती में चूक/विलंब की स्थिति में, परियोजना के समय से पूरा न होने की स्थिति इत्यादि। इसके साथ ही, बैंकों को भवन निर्माताओं/डेवलपर्स द्वारा वैयक्तिक उधारकर्ताओं की ओर से किए गए किसी प्रकार के विलंबित भुगतान के परिणामस्वरूप साख सूचना कंपनियों द्वारा इन उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग/स्कोरिंग नीचे गिर सकती है। ऐसे मामलों में, जहां वैयक्तिक उधारकर्ताओं की ओर से बैंक द्वारा भवन निर्माताओं/डेवलपर्स को निर्माण के चरणों से संबद्ध किए बिना पहले ही एकमुश्त बैंक ऋण प्रदान कर दिए जाते हैं, ऐसे में बैंक निधियों के दुरुपयोग से संबद्ध विषमतापूर्ण उच्चतर जोखिम के एक्सपोजर का शिकार हो सकते हैं।

अत: बैंको को सूचित किया गया है कि व्यक्तियों को मंजूर किए गए आवास ऋणों के संवितरण को आवासीय परियोजनाओं/आवास के निर्माण से घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाए तथा अपूर्ण/निर्माणाधीन/हरित क्षेत्र आवासीय परियोजनाओं के मामलों में पहले ही संवितरण नहीं किया जाए।

भारत में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के बैंक खाते खोलना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में आने वाले विदेशी छात्र स्थानीय पते के किसी प्रमाण की अनुपलब्धता के कारण बैंक खाता खोलते समय अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों के अनुपालन में कठिनाईयों का सामना कर रहे है, इसलिए रिज़र्व बैंक ने ऐसे खाते खोलने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की है।

- बैंक विदेशी छात्र के पासपोर्ट (उचित वीज़ा और प्रवास अनुमोदन के साथ) जिसमें फोटो सहित पहचान प्रमाण और गृह देश में उसका पता रहता है और शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश पत्र के आधार पर अनिवासी सामान्य (एनआरओ) बैंक खाता खोल सकते हैं।
- खाता खोलने के तीस दिनों के अंदर विदेशी छात्र किराया करार या शैक्षणिक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्था में रहने के प्रमाण के रूप में शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त पत्र जिसमें स्थानीय पते वाला वैध पते का प्रमाण है, उस शाखा में प्रस्तुत करेगा जहां खाता खोला गया है। बैंक किराया दस्तावेज सत्यापन के लिए मकान मालिक पर शाखा में आने के लिए जोर न डालें और स्थानीय पते के सत्यापन के वैकल्पिक साधन स्वीकार किए जा सकते हैं।
- 30 दिनों की अवधि के दौरान पते के लंबित सत्यापन पर इस शर्त के साथ खाते का परिचालन किया जा सकता है कि खाते में 1000 डॉलर से अधिक विदेशी विप्रेषणों की अनुमति नही होगी और मासिक आहरण सीमा 50000 से अधिक नहीं होगी।
- पाकिस्तानी राष्ट्रीयता वाले छात्रों को खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।

फेमा

समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार

समुद्रपारीय निधियों की सुलभता के प्रयास में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अधिक लचीलापन मुहैया कराने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि वे अब अपने प्रमुख कार्यालय, समुद्रपारीय शाखाओं तथा प्रतिनिधियों और पिछली तिमाही की समाप्ति पर अपनी अक्षुण्ण टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत तक नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट या वर्तमान 50 प्रतिशत की सीमा (विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण के वित्तपोषण के लिए उधार और पूंजीगत लिखतों को छोड़कर) के मुकाबले 10 मिलियन डॉलर (या इसके समकक्ष), जो भी अधिक हो, उधार ले सकते हैं।

वर्तमान बाजार परिस्थितियों को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यापारी श्रेणी-I बैंक अपने विकल्प पर 10 सितंबर 2013 के बाद लिए गए उधार के संबंध में रिज़र्व बैंक के साथ स्वैप लेनदेन कर सकते हैं। स्वैप सुविधा यह ध्यान दिए बिना कि ऐसे उधार उनकी अक्षुण्ण टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक हैं या नहीं, न्यूनतम एक वर्ष की अवधि और अधिकतम तीन वर्ष की अवधि वाले सभी नए उधारों के लिए बाजार दर से 100 आधार अंक कम की रियायत दर पर उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त, जबकि स्वैप उधार की संपूर्ण अवधि के लिए होगा, दर को पुनःनिर्धारित करने की तारीख पर व्याप्त बाजार दर से 100 आधार अंकों पर स्वैप की तारीख से प्रत्येक एक वर्ष बाद पुनःनिर्धारित किया जाएगा। जबकि बैंक किसी भी स्वतंत्र परिवर्तनीय मुद्रा में उधार लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वैप रुपए में अमेरिकी डॉलर के समकक्ष के लिए उपलब्ध रहेगा और अमेरिकी डालर के समकक्ष राशि को स्वैप की तारीख को व्याप्त संगत क्रॉस दर पर परिकलित किया जाएगा। रियायत दर सुविधा 30 नवंबर 2013 तक खुली रहेगी। रिज़र्व बैंक के पास स्वैप लेनदेन को अस्वीकार करने या उचित नोटिस देकर 30 नवंबर 2013 से पहले इस सुविधा को वापस लेने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त, अक्षुण्ण टीयर I पूंजी के 50 प्रतिशत के अब तक के अनुमत स्तर से अधिक के उधार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

(i) बैंक के पास समुद्रपारीय उधारों पर बोर्ड से अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें जोखिम प्रबंध पद्धतियां होनी चाहिए जिनका बैंक विदेशी मुद्रा में उधार लेते समय अनुपालन करेंगे;

(ii) बैंक को जोखिम आस्ति ऋण अनुपात (सीआरएआर) 12.0 प्रतिशत रखना चाहिए।

(iii) वर्तमान उच्चतम सीमा से अधिक वाले उधार न्यूनतम 3 वर्ष की परिपक्वता अवधि के होने चाहिए।

(iv) अन्य सभी वर्तमान मानदंड (फेमा विनियमन, एनओपीएल मानदंड आदि) लागू रहेंगे।

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) डॉलर निधियां प्राप्त करने के लिए स्वैप सुविधा

यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम तीन वर्षों या इसके अधिक की अवधि के लिए जुटाई गई निधियों के लिए नई विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफसीएनआर (बी) डॉलर निधियों के लिए अमेरिकी डॉलर-रुपए स्वैप सुविधा शुरू की जाए। नई स्वैप सुविधा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) स्वैप सुविधा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए किसी भी अनुमत मुद्रा में जुटाई गई नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए उपलब्ध रहेगी। तथापि, रिज़र्व बैंक के साथ स्वैप सुविधा केवल अमेरिकी डॉलर में ही उपलब्ध रहेगी। स्वैप की अवधि अंतर्निहित एफसीएनआर जमाराशियों के अनुरूप तीन वर्षों या इससे अधिक की अवधि के लिए होगी।

(ख) स्वैप सुविधा मुंबई में सभी कार्यदिवसों (शनिवार और अवकाशों को छोड़कर) पर दैनिक आधार पर परिचालित की जाएगी । तथापि, एक विशेष बैंक इस स्वैप सुविधा का सप्ताह में एक बार लाभ उठा सकता है। किसी भी विशेष सप्ताह के दौरान डॉलर की अधिकतम राशि जिसके लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ स्वैप के लिए पात्र होंगे, वह पिछले सप्ताह(सप्ताहों) के दौरान समकक्ष अमेरिकी डॉलर में जुटाई गई कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के बराबर होगी।

(ग) स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर के गुणजों में अमेरिकी डॉलर की बिक्री कर सकता है और इसके साथ-साथ स्वैप अवधि के अंत में अमेरिकी डॉलर की इसी राशि की खरीद के लिए सहमत हो सकता है। स्वैप प्रतिवर्ष 3.5 प्रतिशत की स्थायी दर पर किया जाएगा। लेनदेन के पहले चरण में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को आरबीआई संदर्भ दर या अन्य किसी दर जिस पर आपस में सहमति बने, पर अमेरिकी डॉलर की बिक्री कर सकता है। स्वैप के प्रथम चरण का निपटान लेनदेन की तारीख से स्पॉट आधार पर किया जाएगा। स्वैप लेनदेन के विपरीत चरण में अमेरिकी डॉलर वापस लेने के लिए स्वैप प्रीमियम के साथ रुपए निधियां भारतीय रिज़र्व बैंक को वापस लौटानी होंगी।

(घ) स्वैप सुविधा का लाभ उठाने वाले बैंकों को अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की गई घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने पिछले सप्ताह (सप्ताहों) के दौरान तीन वर्षों की अवधि के लिए नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियां जुटा ली हैं।

(ङ) स्वैप सुविधा मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय बाजार विभाग द्वारा परिचालित की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार परिस्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए परिचालन दिवस और किसी विशेष दिन इस सुविधा का लाभ उठाने वाले बैंकों की संख्या पर निर्णय करने के अधिकार का उपयोग करेगा।

(च) अंतर्निहित जमाराशियों की न्यूनतम लॉक-इन अवधि एक वर्ष की होगी। तथापि, ऐसी जमाराशियों के परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति एक वर्ष बाद दी जाएगी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किए गए स्वैप को एक वर्ष से पहले रद्द नहीं किया जा सकता है। एक वर्ष बाद जमाराशियों के परिपक्वता पूर्व आहरण के मामले में, बैंक स्वैप समाप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। स्वैप समाप्त करने वाले बैंकों को अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की गई घोषणा प्रस्तत करनी होगी कि उन्होंने एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की परिपक्वता

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

पूर्व आहरण की अनुमति दे दी है। स्वैप के पूर्व समापन के मामले में स्वैप की पूर्ण अवधि के लिए स्वैप लागत को बैंकों को प्रस्तावित 3.5 प्रतिशत की रियायत संविदात्मक दर से ऊपर 400 आधार अंकों पर और मूल स्वैप (प्रतिस्थापन लागत के लिए) की शेष अवधि के लिए बाजार में व्याप्त अमेरिकी डॉलर/रुपए की स्वैप दर पर पुन:निर्धारित किया जाएगा। समापन के समय पर स्वैप के पुनर्मूल्यन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इसमें किसी प्रकार के आशोधन और संशोधन का अनुरोध नहीं सुना जाएगा।

(छ) नई स्वैप सुविधा 10 सितंबर 2013 से लागू हो गई और यह 30 नवंबर 2013 तक खुली रहेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक पूर्व नोटिस देकर इससे पहले योजना बंद करने का अधिकार रखता है।

वायदा संविदाओं को रद्द करना/पुन:बुकिंग करना

निर्यातकों और आयातकों को उनके विदेशी मुद्रा जोखिमों को सुरक्षित (हेज) करने के लिए परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि:

(क) निर्यातकों को उनके संविदागत निर्यात एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए एक वित्तीय वर्ष में बुक की गयी संविदाओं के 50 प्रतिशत की सीमा तक वायदा संविदाएं रद्द करने एवं फिर से उन्हें बुक करने की अनुमति दी जाए, और

(ख) आयातकों को उनके संविदागत आयात एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए एक वित्तीय वर्ष में बुक की गयी संविदाओं के 25 प्रतिशत की सीमा तक वायदा संविदाएं रद्द करने एवं फिर से उन्हें बुक करने की अनुमति दी जाए।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर विदेशी मुद्रा काउंटर

यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासियों को विविध खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों में प्रस्थान हाल में सीमा शुल्क मुक्त क्षेत्र/प्रतिभूति धारित क्षेत्र के लिए प्रवास/सीमा डेस्क से परे अधिकतम ₹10000 तक ले जाने की अनुमति दी जाए। तथापि, अनिवासियों को भारतीय रुपए प्रतिभूति धारित क्षेत्र से परे ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा उन्हें हवाई जहाज में बैठने से पहले भारतीय मुद्रा की बिक्री करनी होगी।

अनिवासियों को उनके पास खर्च न हुए भारतीय रुपए के परिवर्तन के लिए मुद्रा परिवर्तन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों के प्रस्थान हालों में प्रवास/सीमा डेस्क से परे सीमा शुल्क मुक्त क्षेत्र/प्रतिभूति धारित क्षेत्र में विदेशी मुद्रा काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं। तथापि, ऐसे विदेशी मुद्रा काउंटरों पर केवल अनिवासियों से भारतीय रुपए खरीदे जाएंगे और सामान्य शर्तों के अधीन उन्हें विदेशी मुद्रा बेची जाएगी।

शहरी सहकारी बैंक

कोर बैंकिंग समाधान का कार्यान्वयन

मार्च 2013 में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सूचित किया गया था कि वे अपनी सभी शाखाओं में 31 दिसंबर 2013 तक सीबीएस कार्यान्वित करें। समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सीबीएस के कार्यान्वन की समय सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

शहरी सहकारी बैंक की श्रेणी	सीबीएस के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा
टीयर II शहरी सहकारी बैंक	31 दिसंबर 2013 (कोई परिवर्तन नहीं)
टीयर I शहरी सहकारी बैंक (यूनिट बैंक के अलावा)	30 जून 2014
यूनिट बैंक	31 दिसंबर 2014

रिज़र्व बैंक ने पुन: यह कहा है कि समय सीमा के अधीन सीबीएस के कार्यान्वयन में हुई चूक के परिणामस्वरूप शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न सुविधाएं (शाखा या कार्यक्षेत्र का विस्तार आदि) देने से इनकार किया जा सकता है।

मरम्मत/परिवर्धन/फेरबदल के लिए ऋण

व्यक्तियों को अपने आवासीय इकाई में मरम्मत, परिवर्धन, फेरबदल के लिए दिए जाने वाले लोन की सीमा को ग्रामीण और उप नगरीय क्षेत्र के लिए ₹ 2 लाख और शहरी क्षेत्र के लिए ₹ 5 लाख तक बढ़ा दी गई है।

ऐसे ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए भी पात्र हैं। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले आवास ऋण, स्थावर संपदा तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण के लिए उनकी समग्र आस्तियों के 10% तक की वर्तमान संयुक्त उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, साथ ही व्यक्तियों के लिए ₹ 25 लाख तक दिए जाने वाले आवास ऋण से संबंधित 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ग्राहकों की शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटीकरण

शिकायत निवारण तंत्र की प्रभाव क्षमता के संवर्धन की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के साथ शिकायतों का विवरण अपने बोर्डों/ग्राहक सेवा समितियों के समक्ष प्रस्तुत करें। शिकायतों का विश्लेषण (i) उन ग्राहक सेवा क्षेत्रों की पहचान करने जहां शिकायतें बार-बार प्राप्त होती हैं; (ii) बार-बार शिकायत के स्रोतों की पहचान करने; (iii) सर्वांगीण कमियों की पहचान करने; (iv) शिकायत निवारण तंत्र को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए उचित कार्रवाई करने के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने प्रकटीकरण में उनके द्वारा जारी किए गए एटीएम कार्डों से संबंधित सभी शिकायतों को शामिल करें। जहां कार्ड जारी करने वाला बैंक अधिग्राही बैंकों को एटीएम से संबंधित ग्राहक शिकायतों के बारे में विशेष रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है, इसे प्राप्त कुल शिकायतों में शामिल करते हुए एक नोट द्वारा स्पष्ट किया जाए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया है कि वे लंबित समाधान (रिकन्सिलिएशन) वाले ऋण शेष जो एटीएम में नकदी की रिक्ट्रैक्शन, सेंसर फेल हो जाने और अन्य तकनीकी / हाड्रवेयर भूलों के कारण अधिक नकदी के विभिन्न मामलों में होते हैं, उन्हें लाभ-हानि लेखा में अंतरित नहीं करें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आम जनता की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायतों के विस्तृत विवरण तथा उनका विश्लेषण जारी करें।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।